रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0एम0 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 अप्रैल, 1983/3 वैशाख, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-2, 8 अप्रैल, 1983

सं0 3-2/83-इलैक.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/हि0प्र0-वि0स0/6/82, दिनांक 31 जनवरी, 1983 जोकि इस विभाग की समसंख्यांक अधिसूचना, दिनांक 14/16 फरवरी, 1983 के अन्तर्गत राजपत्र हिमाचल प्रदेश दिनांक 26 फरवरी 1983 में प्रकाशित की गई है, में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

I. राजपत्र के पृष्ठ 209 पर,—
आयोग की अधिसूचना के हिन्दी रूपांतर की तीसरी लाइन में "1982" के स्थान पर "1983" पढ़ा जाए ।

II. राजपत्र के पृष्ठ 212 पर,—
तीसवीं लाइन में Part I के स्थान पर Part II पढ़ा जाएं ।

आदेश से,
मधु सूदन मुखर्जी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 6 अप्रैल, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0एए0(5)-122/76.—ग्राम पंचायत बाट के निरीक्षण एवं अंकेक्षण करने से पाया गया कि श्री चुहड़राज, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत बाट के विरुद्ध मु0 954 रुपये के दुरुपयोग का मामला सामने आया है;

और क्योंकि उक्त प्रधान, के विरुद्ध इस आरोप में वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जांच करवाई जानी आवश्यक है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री चुहड़राज, प्रधान, ग्राम पंचायत बाट के विरुद्ध मु0 954 रुपये के दुरुपयोग के आरोप की वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत जांच करने के लिए जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। यह अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, चम्बा के माध्यम से इस विभाग को एक मास तक प्रस्तुत करेंगे।

शिमला-2, 6 अप्रैल, 1983.

संख्या पी0सी0एच0-एच0एए0(5)-44/81.—क्योंकि श्री चूहड़ सिंह को ग्राम पंचायत कथोण, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के प्रधान पद से अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी ने उनके कार्यालय आदेश संख्या पी0सी0एच0-मण्डी-22(2)/73-II-3630-33, दिनांक 4-8-82 के अन्तर्गत निलम्बित किया है;

और क्योंकि अब अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी ने सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अंकेक्षण करवाने तक उक्त प्रधान के निलम्बनादेशों को रद्द करने की सिफारिश की है, कि जिस पर विचार करने पर सरकार अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी के दिनांक 4-8-82 के निलम्बन आदेशों को समाप्त करना उचित समझती है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त श्री चूहड़ सिंह के दिनांक 4-8-82 के निलम्बनादेशों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(4) के अन्तर्गत समाप्त करने के आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th April, 1983

No. PCH-HC (9)-2/77.—In exercise of the powers vested in him under first proviso to clause (*d*) of sub-section (1) of section 42 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to impose house tax in the jurisdiction of Gram Panchayat Shillai in Development Block Shillai, District Sirmour, Himachal Pradesh with immediate effect at the following rates as the aforesaid Gram Panchayat has failed to impose house tax in its respective area of jurisdiction:—

(i) Where the occupier or owner of a house is a landowner or a shopkeeper .. Rs. 7/- per annum.

(ii) Where the occupier or owner of a house is a tenant of land or an artisan .. Rs. 5/- per annum.

(iii) Where the occupier or owner of a house is an unskilled labourer .. Rs. 3/- per annum.

By order,
B. C. NEGI,
Secretary.

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 7 अप्रैल, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-64/80.—श्री कर्मदास नवार, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत पंडार, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध मामले में जांच करने पर निम्नलिखित आरोप सिद्ध पाए गए हैं :—

(1) पंडार-मल्हौट कूहल का 20 बोरी सीमेंट, जिसकी कीमत 798 रुपये है, का अपहरण;
(2) गृह कर की वसूली में बाधा डालना ;
(3) मु0 299.50 रुपये का फर्नीचर अनाधिकृत डीलर से खरीदना ;
(4) मु0 280.50 रुपये का सामान अनाधिकृत डीलर से खरीदना ;
(5) निरीक्षक पंचायत के साथ दुर्व्यवहार करना ;

और क्योंकि उक्त श्री कर्मदास को उक्त कृत्य पर प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत रखना जनहितार्थ नहीं है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री कर्मदास को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पण्डार के प्रधान पद से निष्कासित किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश देते हैं कि उक्त प्रधान (नि0) गबनित राशि मु0 798 रुपये (सात सौ अठानवे रुपये) को इस नोटिस की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर-भीतर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उचित रसीद लेकर जमा करवाएं तथा इस सम्बन्ध में उत्तर भी इस निदेशालय को जिलाधीश, मण्डी के माध्यम से 10 दिनों के भीतर-भीतर भेजें अन्यथा यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है।

शिमला-2, 7 अप्रैल, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-14/83.—श्री ओम प्रकाश, प्रधान, ग्राम पंचायत तुन्ना, विकास खण्ड चच्योट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध एक शिकायत पर उप-मण्डल अधिकारी (ना), मण्डी सदर द्वारा जांच करने पर वह तुन्ना पेय जल योजना की अल्काथीन नालियों के दुरुपयोग के दोषी पाए लगते हैं;

और क्योंकि उक्त प्रधान को उक्त कृत्य पर उनके पद से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत निलम्बित किया जाना अनिवार्य है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री ओम प्रकाश को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें उक्त आरोप पर ग्राम पंचायत तुन्ना के प्रधान पद से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत निलम्बित किया जाए। उनका उत्तर इस कार्यालय में इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर पहुंच जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहने से असमर्थ हैं।

शिमला-2, 8 अप्रैल, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-199/77.—क्योंकि श्री प्रभाशंकर, प्रधान (निलम्बित), ग्राम पंचायत होवार के विरुद्ध ग्राम पंचायत होवार के निरीक्षण करने पर निम्नलिखित आरोप/अनियमितताएं पाई गई हैं:—

1. मु0 1176 रुपये के नकद बाकी का दुरुपयोग ;
2. मु0 249 रुपये राशन कार्ड से प्राप्त वर्ष 1981-82 की आय दर्ज रोकड़ नहीं पाई गई ;

3. मु0 607.36 रुपये मतिहार कूहल में बिना प्रशासनिक स्वीकृति के राशि व्यय की गई, जो अमान्य है, व्यय के वाउचर भी संदेहात्मक हैं;

4. मु0 600 रुपये की राशि सिलाई केन्द्र को सभा निधि से जिसका प्रावधान बजट में नहीं था और न ही प्रशासनिक स्वीकृति ली गई;

5. मु0 268.24 रुपये पंचायत घर मुरम्मत का व्यय बिना स्वीकृति पंचायत निधि से किया गया है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री प्रभाशंकर, प्रधान (निलम्बित), को हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(डी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत होवार के प्रधान पद से निष्कासित किया जाए। उनका इस सम्बन्ध में उत्तर इस कार्यालय को इस नोटिस की प्राप्ति के एक मास के भीतर-भीतर जिलाधीश, चम्बा के माध्यम से उनकी टिप्पणियों से प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना चाहते।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।